अष्टादश बिहार विधान सभा

द्वितीय सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचना बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-**16.02.2026** के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है ।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
1.	**श्री देवेश कान्त सिंह, स०वि०स०** श्री मंजीत कुमार सिंह, स०वि०स० श्री कृष्णनंदन पासवान, स०वि०स०/ श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, स०वि०स० श्री अजीत कुमार, स०वि०स० श्री राजेश कुमार सिंह, स०वि०स० श्री रणधीर सिंह, स०वि०स०	"बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है । भारत सरकार के निर्देशानुसार उर्वरक कम्पनियों की जिम्मेदारी है कि वे यूरिया, डी.ए.पी., एन.पी.के. एवं एम.ओ.पी. सीधे बिक्री केन्द्र (POS) तक पहुँचाए ताकि किसानों को एम.आर.पी. पर खाद मिल सके । नियमानुसार परिवहन भाड़ा (FOR) खुदरा विक्रेताओं के खाते में जमा होना चाहिए । किन्तु वर्तमान में इस व्यवस्था की घोर अनदेखी हो रही है । आपूर्ति श्रृंखला में विसंगतियों के कारण किसानों को निर्धारित दर पर यूरिया उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे खेती में भारी कठिनाई और किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है । कम्पनियों की शिथिलता से कालाबाजारी को बढ़ावा मिल रहा है । अतः लोक महत्व के इस गंभीर विषय पर कम्पनियों की जवाबदेही तय कर बिक्री केन्द्रों पर उर्वरकों का पारदर्शी वितरण एवं सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य पर बिक्री सुनिश्चित कराने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।"	कृषि

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	**श्री दुलाल चन्द्र गोस्वामी, स०वि०स०** श्री रामचन्द्र सदा, स०वि०स० श्री सतीश कुमार साह, स०वि०स० श्री बैधनाथ प्रसाद, स०वि०स०/ श्री रामविलास कामत, स०वि०स० श्री कुमार शैलेन्द्र, स०वि०स० श्री इन्द्रदेव सिंह, स०वि०स० श्री माँशरीक मृणाल, स०वि०स०	"बिहार के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भू-जल स्त्रोतों में आर्सेनिक, फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट, बैक्टीरियल प्रदूषण, लेड (शीशा) आदि की मौजूदगी की सूचना है । जिससे खतरनाक बीमारियाँ जैसे त्वचा रोग, अस्थि फ्लोरोसिस, एनीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, पेट संबंधी बीमारी, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र, कैंसर आदि तेजी से लोगों में फैल रहा है । इससे ग्रामीण एवं शहरी आमजन प्रभावित हो रहे हैं । हालांकि सरकार के स्तर से नल-जल योजना, जल गुणवत्ता परिक्षण एवं शुद्धिकरण से पेयजल समस्या समाधान का प्रयास हो रहा है, जो नाकाफी है । अतएव जल स्त्रोतों को प्रदूषण रहित करने के उद्देश्य से भू-जल स्त्रोतों का निरंतर वैज्ञानिक परिक्षण, जल शुद्धिकरण तकनीक विकसित करने, जल प्रदूषण नियंत्रण का उपाय करने और बच्चों, गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संरक्षण की विशेष योजनाएँ लागू करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूँ ।"	**लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण**

ख्याति सिंह
प्रभारी सचिव,
बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/2026- 77 /वि०स०, पटना, दिनांक- 13 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय सदस्यगण, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 13.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/2026- 77 /वि०स०, पटना, दिनांक- 13 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव / माननीय उप मुख्यमंत्रिगण के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्रिगण के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्रिगण एवं मंत्रिगण के सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 13.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/2026- 77 /वि०स०, पटना, दिनांक- 13 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- मुख्य सचिव, बिहार / राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार / सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार, पटना उच्च न्यायालय / संसदीय कार्य विभाग / **कृषि विभाग एवं लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग** को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 13.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।

ज्ञाप सं०-ध्या०प्र०-09/2026- 77 /वि०स०, पटना, दिनांक- 13 फरवरी, 2026 ई०।

प्रतिः- माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / माननीय उपाध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव / प्रभारी सचिव के प्रधान आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित ।

रविन्द्र पंडित 13.2.26
(रविन्द्र पंडित)
अवर सचिव, बिहार विधान सभा, पटना ।